न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 240 / 2020 अपील (GCMS 2020/00255)
पंजीयन दिनांक– 24 / 06 / 2020
निर्णय दिनांक– 28 / 08 / 2024

1. श्री भेरूलाल पिता स्व. मेघा कटेरिया, निवासी फला हाथीकाड, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
2. श्री रामा पिता स्व. मेघा कटेरिया, निवासी फला हाथीकाड, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
3. श्री थावरा पिता स्व. मेघा कटेरिया, निवासी फला हाथीकाड, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
4. श्री कल्याण उर्फ कालिया पिता स्व. मेघा कटेरिया, निवासी फला हाथीकाड, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता स्व. भेरूलाल भट्ट, निवासी चंदवास, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री संजय सोनी	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री मनीष शर्मा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 13 / 2018

(प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 26.02.2020

निर्णय

दिनांक 28/08/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 13/2018 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध दिनांक 19.06.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल के खसरा संख्या 2474 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, 2475 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7200 हेक्टेयर का आवंटन दिनांक 30.11.2005 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता भेरूलाल पिता अम्बालाल को नियम विरूद्ध किया है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता भूमिहीन काश्तकार नही थे एवं उनके पास गांव चंदवास में पहले से आराजी संख्या 1476 रकबा 1. 0800 हेक्टेयर भूमि स्थित थी। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता ने आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में आवेदक की खाते की भूमि के वर्णन में नील अंकित किया है। उक्त आराजी संख्या 2475 एवं 2474 पर अपीलांट्स एवं उनके पूर्वाधिकारियों का विगत लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है एवं मकान बने होकर निवास कर रहे है। आवंटन उपरान्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी गयी। रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय सेवा में होकर अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलांट्स द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। उक्त विवादित आराजी अपीलांट्स के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अथवा उसके पिता का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही

रहा है। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नही किया गया एवं विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के पक्ष में किया गया है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 30.11.2005 को खारिज किया जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/2018 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 26.02.2020 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*" अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा झाडोल तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 2475 रकबा 0.2800 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 2474 रकबा 0.4400 हेक्टेयर कुल कित 02 रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 705/2005 मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सोनी उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.08.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर अपीलांट्स का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, मौका रिपोर्ट अपीलांट्सा के पक्ष में होना, रेस्पोडेंट संख्या 1 का अध्यापक होना, भूमिहीन काश्तकार न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को मिथ्या बताते हुए निरस्त करने की मांग के साथ अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट्स की अपील मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आवंटन से पूर्व की धारा 91 की रसीदे होना, कोरम पूर्ण होना, भूमि खातेदारी हक से दर्ज होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना एवं किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि वक्त आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता राजकीय सेवा में नही थे एवं सदभावी काश्तकार थे एवं आवंटन की पात्रता रखने के फलस्वरूप ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। चतुर्वषीय खसरा गिरदावरी में भी उक्त आराजीयात पर मक्के की फसल काश्त करना स्पष्ट जाहिर हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती की अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

● RRT 2003 (1) PAGE 921

- DNJ 2016 (2) PAGE 732 (RAJ)
- RRT 2009 (1) PAGE 453
- RRT 2016 (2) PAGE 469

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 2 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 26.02.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2020 की अपील अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2020 को पेश की है, परंतु न्यायहित में अल्प समय हेतु अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र एवं अखिण्डत शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/2018 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 26.02.2020 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी झाडोल की आवंटन पत्रावली संख्या 705/2005 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता श्री भेरूलाल पिता अम्बालाल ब्राह्मण द्वारा मौजा झाडोल, तहसील

झाडोल की आराजी संख्या 2474, 2475 में से आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास पहले से भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त भूमि वक्त आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा अनुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण में आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 को न होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता को सद्भावी काश्तकार होने के कारण किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना आवश्य दर्शाया है, किन्तु पश्चात्वर्ती कब्जे के आधार पर कथित आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उसके पिता के नाम जारी धारा 91, भू. राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस वर्ष 2004 एवं 2005 रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु

न तो कोई पुराना राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट्स का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा रेस्पोडेंट सं. 1 के पिता को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि अपीलांट्स का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे अपीलांट्स के पास उपलब्ध होती, जो अपीलांट्स का कब्जा साबित करती। अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता पूर्ववर्ती कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

- अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य उर्ज यह प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर नियुक्त था, जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है।

  उल्लेखनीय है राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम (iii-ख) के नियम (क) में यह वर्णित किया गया है किः– **राज्य सरकार या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों या फर्मों का कर्मचारी या उसकी पत्नि और उस पर आश्रित बच्चे, लेकिन आकस्मिक या दैनिक मजदूरी पर लगे हुए व्यक्ति इस हेतु कर्मचारी नहीं समझे जायेंगे।** प्रकरण में वर्णित आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता स्व. श्री भेरूलाल भट्ट को दिनांक 30.11.2005 भूमिहीन कृषक एवं सद्भावी काश्तकार होने के कारण किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 वर्ष 1997 में बालिग होकर दिनांक 27.09.1997 से राजकीय सेवा में होकर

अध्यापक के पद पर कार्यरत था, इससे यह प्रतीत होता है कि वह अपने पिता पर आश्रित नही था तथा उसे स्वयं को आवंटन नही होकर उसके पिता को आंवटन किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकार्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। अतः उक्तानुसार उक्त उज्र समायत/माने जाने योग्य नहीं है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर